आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकरी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख सहित
1	2	3
2.08.2019	न्यायालय अन्तर्गत भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता ,राजमहल। जमाबंदी सुधार वाद सं0– 01/2018–19 राजलखी देवी वगै0 बनाम नगेन मंडल, मौजा– सिरासीन आदेश आवेदिका राजलखी देवी, पति– विनय सिंह एवं अन्य, सा0– सिरासीन, थाना– बरहरवा, जिला– साहेबगंज के द्वारा अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से जमाबंदी सुधार वाद से संबंधित आवेदन दाखिल किया गया है। अवलोकन किया। उनके विद्वान अधिवक्ता को सुना। दाखिल आवेदन के अवलोकन करने तथा उनके विद्वान अधिवक्ता को सुनने के पश्चात संतुष्ट होकर अंचल अधिकारी, उधवा को इस कार्यालय के ज्ञापांक 40/भू0सु0, दिनांक 20.04.2017 के द्वारा प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचल अधिकारी, बरहरवा से प्रतिवेदन प्राप्त। अवलोकन किया। फलस्वरूप वाद को अंगीकृत कर उभय पक्ष से कारण पृच्छा की मांग करते हुए 16 आना रैयतों को नोटिस निर्गत की गयी। विधिवत नोटिस तामिला प्राप्त होने के पश्चात उभय पक्ष उपस्थित। आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का संक्षिप्त में कहना है कि मौजा सिरासीन, दाग नं0– 192, 194 एवं 193 का कुल रकवा 18 कट्ठा 08½ धूर जमीन निबंधित केवाला संख्या 145 दिनांक 07.02.2005 के द्वारा खरीद कर दखलकार हुये तथा दाखिल खारिज सं0 87/2005–06 से कराये हैं। जमीन खरीद के समय भूलवश दाग नं0– 192 का रकवा 14 कट्ठा 10 धूर, दाग नं0– 194 का रकवा 03 कट्ठा 12½ धूर तथा दाग नं0– 193 का रकवा 06 धूर, कुल रकवा 18 कट्ठा 12½ धूर लिखा गया था, और उसके अनुरूप ही दाखिल खारिज हुआ। बाद में पता चला कि दाग नं0 तथा कुल रकवा में गलती नहीं है, लेकिन जमीन दाग नं0– 192 में 06 धूर, दाग नं0– 194 में 03 कट्ठा 12½ धूर तथा दाग नं0– 193 में 14 कट्ठा 10 धूर जमीन क्रय हुआ है तथा विपक्षी द्वारा संशोधित केवाला सं0 1286, दिनांक 19.03.2009 के द्वारा प्रत्येक दाग के रकवा में संशोधन किया गया है। दाखिल खारिज में कुल जमीन का रकवा सही है, लेकिन प्रत्येक दाग का गलत रकवा गलत रह गया है। जिसके संशोधन की आवश्यकता है। साथ ही आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदिका संशोधन केवाला के मुताबिक ही दखलकार हुयी हैं। अतः आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का प्रार्थना है कि अंचल अधिकारी, बरहरवा के दाखिल खारिज वाद सं0 87/2005–06 में प्रत्येक दाग के रकवा में सुधार करने का अनुरोध किया गया है। उभय पक्ष के द्वारा आपसी सुलहनामा दाखिल किया गया है, जिसमें आवेदकगण विपक्षी से निबंधित केवाला सं0 145, दिनांक 07.02.2005 के जरिये मौजा सिरासीन,दाग नं0– 192, 194 एवं 193 का कुल रकवा 18 कट्ठा 08½ धूर जमीन खरीद कर दाखिल खारिज कराये है, जिसका दाखिल खारिज वाद सं0 87/2005–06 है। उक्त केवाला में भूलवश दाग नं0– 192 में रकवा 14 कट्ठा 10	

Scanned with CamScanner

धूर, दाग नं0– 194 में रकवा 03 कट्ठा 12½ धूर तथा दाग नं0– 193 में 06 धूर, कुल रकवा 18 कट्ठा 08½ धूर लिखा गया था और उसी दाग के जमीन के अनुसार दाखिल खारिज हुआ है। जानकारी के पश्चात विपक्षी नगेन मंडल द्वारा संशोधन केवाला सं0 1286, दिनांक 19.03.2009 को निष्पादन आवेदकगण के पक्ष में कर दिया गया है। परन्तु संशोधन केवाला बनाने से पहले दाखिल खारिज हुआ है, जिस कारण प्रत्येक दाग में गलत रकवा पूर्व में बने केवाला के अनुसार दर्ज हो चुका है, जिसमें संशोधन की आवश्यकता है।

अतएव उभय पक्षों द्वारा संयुक्त रूप से केवाला में अंकित दाग के रकवा में संशोधन करने का अनुरोध किया गया है।

अंचल कार्यालय, बरहरवा के पत्रांक 240/रा0, दिनांक 28.02.2018 के द्वारा हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक का संयुक्त जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। उक्त में हल्का कर्मचारी द्वारा प्रतिवेदित किया हैं कि मौजा सिरासीन, थाना नं0– 158 के जमाबंदी नं0– 30, दाग नं0– 192, रकवा 15 कट्ठा 02 धूर (बांसझाडी), दाग नं0– 194, रकवा 07 कट्ठा 05 धूर (बांसओढी) एवं जमाबंदी नं0– 81, दाग नं0– 193, रकवा 14 कट्ठा 10 धूर (बांसबाड़ी) जमीन खतियान में महा बीबी, पति– समसुद्दीन दीगर के नाम से दर्ज है। आवेदकगण ने मौजा सिरासीन के जमाबंदी नं0– 30, दाग नं0– 192, रकवा 14 कट्ठा 10 धूर, दाग नं0– 194, रकवा 03 कट्ठा 12½ धूर एवं जमाबंदी नं0– 81 के दाग नं0– 193, रकवा 06 धूर जमीन निबंधित केवाला सं0 145, दिनांक 07.02.2005 के द्वारा खरीद किये हैं तथा कुल रकवा 18 कट्ठा 08½ धूर जमीन नामांतरण वाद सं0 87/2005–06 के द्वारा नामांतरण कराकर दखल में है एवं 2006–07 तक लगान अद्यतन है। वर्णित जमीन विपक्षी नगेन मंडल, पिता– स्व0 दशरथ मंडल, सा0– भवानंदपुर द्वारा बिक्री किया गया है। वर्णित मौजा सिरासीन नं0– 158 के अंतर्गत जमाबंदी नं0– 30 एवं 81 के अंतर्गत दाग नं0 क्रमशः 192, रकवा 06 धूर, दाग नं0– 194, रकवा 03 कट्ठा 12½ धूर एवं दाग नं0– 193 रकवा 14 कट्ठा 10 धूर, कुल जमीन 18 कट्ठा 08½ धूर जमीन के संबंध में हल्का कर्मचारी ने स्पष्ट प्रतिवेदित किया है कि पूर्व में पारित नामांतरण वाद को अपास्त के बाद ही संशोधन की कार्रवाई की जा सकती है। हल्का कर्मचारी के प्रतिवेदन पर अंचल निरीक्षक के द्वारा संबंधित दाखिल खारिज को अपास्त करने की कार्रवाई हेतु अनुशंसा किया गया हैं।

उपरोक्त तमाम स्थितियों एवं परिस्थितियों पर सम्यकरूपेण विचारोपरांत एवं अंचल अधिकारी, बरहरवा के प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि संबंधित जमाबंदी सुधार पूर्व में पारित नामांतरण वाद को अपास्त करने के बाद ही संभव है। यद्यपि दोनों पक्षों ने सुधार हेतु सहमति दी है। तथापि पूर्व में पारित आदेश के आलोक में इस वाद के माध्यम से सुधार संभव नहीं है।

अतः अंचल अधिकारी, बरहरवा को निदेश दिया जाता है कि नामांतरण अपील वाद आरंभ करने हेतु LCR एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करें। साथ ही दोनों पक्षो को यह सलाह दी जाती है कि नामांतरण अपील वाद हेतु आवेदन दाखिल करें।

114/अ... 24/09/19

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
राजमहल

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
राजमहल।